

बिहार सरकार  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग  
सं-3जी0(बजट-आयोग)-125-05/2010- 68

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,  
निदेशक।

सेवा में,

उप सचिव,  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

6.1.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना व्यय वहन हेतु वेतन में ₹187.60 लाख एवं वेतनादि के अलावा ₹50.00 लाख अर्थात् कुल ₹237.60 लाख (दो करोड़ सैतीस लाख साठ हजार ₹00) मात्र सहायक अनुदान का आबंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना व्यय वहन हेतु वेतन में ₹187.60 लाख एवं वेतनादि के अलावा ₹50.00 लाख अर्थात् कुल ₹237.60 लाख (दो करोड़ सैतीस लाख साठ हजार ₹00) मात्र सहायक अनुदान की निकासी की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-64 दिनांक 22.12.2017 के द्वारा प्रदान की है। तदनुसार स्वीकृत राशि के आलोक में वेतन में ₹187.60 लाख एवं वेतनादि के अलावा ₹50.00 लाख अर्थात् कुल ₹237.60 लाख (दो करोड़ सैतीस लाख साठ हजार ₹00) मात्र सहायक अनुदान मद में आबंटित की जाती है।

2-आबंटित राशि गैर योजना अन्तर्गत बजट शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-001-निदेशन और प्रशासन, 0003-राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्राथमिक इकाई 3104-सहायक अनुदान-वेतन एवं 3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मांग सं0-44 विपत्र कोड N-2225010010003 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस राशि की निकासी उप सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन से किया जायेगा तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एक मुश्त राशि सचिव राज्य अनुसूचित जाति आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17-4-98 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत/अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

5-आयोग के व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि का अलग से लेखा संधारण किया जायेगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा से करेंगे।

6- सचिव बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक- 31-3-2017 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा देंगे।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार) 01.11.17  
निदेशक।

ज्ञापांक-3जी0(बजट-आयोग)-125-05/2010/8 पटना, दिनांक- 6.1.17  
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (बजट) शाखा,  
कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/ सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव के प्रधान  
आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0 बजट शाखा/  
प्रशाखा पदा0 6 जी0/ लेखा शाखा (दोहरी प्रति में) सांख्यिकी शाखा, अनुसूचित जाति एवं अनु0  
जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

*[Signature]*  
निदेशक 01/17

Letter-Secratry